तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज एफएसएस एक्ट मु.स. 23/2017 महमूद अली बनाम अशोक पुरोहित आदि
27-03-2018	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगणों पर शास्ति आरोपित की गई। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय प्रति संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्त्तर हो। 2017/00193

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः— श्री यशवन्त भाकर, आर.ए.एस.

एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र मु.स. 23/2017

श्री महमूद अली खादय सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं बीकानेर जोन बीकानेर

प्रार्थी

—: बनाम :—

1— श्री अशोक पुरोहित पुत्र हनुमानदास पुरोहित जाति पुरोहित (विक्रेता) मैसर्स कैलाश किराणा भण्डार रेल्वे क्रॉसिंग के पास कोटगेट बीकानेर— निवासी मानावतों की गली, बिस्सा चौक, बीकानेर
2— श्री कैलाशचन्द्र पुरोहित (मालिक) मैसर्स कैलाश किराणा भण्डार रेल्वे क्रॉसिंग के पास कोटगेट बीकानेर— निवासी मानावतों की गली, बिस्सा चौक, बीकानेर
3— श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र बुलाकीदास अग्रवाल मैसर्स अनिल एजेन्सीज, फड़ बाजार बीकानेर निवासी बागड़ियों का मौहल्ला, ढड्डो का चौक, बीकानेर
4— श्रीमती पिंकी अग्रवाल पत्नी श्री सुशील कुमार अग्रवाल मैसर्स अनिल एजेन्सीज, फड़ बाजार बीकानेर निवासी बागड़ियों का मौहल्ला, ढड्डो का चौक, बीकानेर
5— मैसर्स अनिल एजेन्सीज, फड़ बाजार बीकानेर
6— श्री अनिल कुमार उपाध्याय निवासी शिव कॉलोनी नवीपुर, हाथरस (यू.पी.) (नोमिनी निर्माता फर्म) मैसर्स श्री हरि इण्डस्ट्रीज (हरि ऑयल मिल्स) मालगोडाउन रोड़ भरतपुर
7. मैसर्स श्री हरि इण्डस्ट्रीज (हरि ऑयल मिल्स) मालगोडाउन रोड़ भरतपुर (राज.) (निर्माता फर्म)

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ग) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी पक्ष — श्री महमूद अली खादय सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से — इकतरफा
3. अप्रार्थी सं. 3 से 7 की ओर से — श्री विजय कुमार पारीक अधिवक्ता

—: निर्णय :— दिनांक 27.03.2018

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली, खाध सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 19.08.2016 को अप्रार्थीपक्ष श्री अशोक पुरोहित पुत्र हनुमानदास पुरोहित (विक्रेता)— मैसर्स कैलाश किराणा भण्डार, रेल्वे क्रॉसिंग के पास कोटगेट, बीकानेर के यहां दुकान पर निरीक्षण के दौरान तिल तेल (इंजन) पैक्ड 500 मिली. के 10 पैक्ड प्लास्टिक बोतल आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया । तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त तिल तेल (इंजन) पैक्ड 500 मिली. बोतलों में से 4 पैक्ड प्लास्टिक बोतल तिल तेल (इंजन) 500 मिली. 340/— रूपये में जांच हेतु नमूना संग्रह कर क्रय कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त तिल तेल (इंजन) की प्रत्येक प्लास्टिक बोतलों को सीलबन्द पैक कर एक सीलयुक्त पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खादय विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से दिनांक 20.09.2016 को जांच

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

... हुई जिसमें तिल तेल (इंजन) सबस्टेण्डर्ड पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा तिल तेल (इंजन) सबस्टेण्डर्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अथवा उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं आने पर इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 से 7 की ओर से श्री विजय कुमार पारीक अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। तदन्त्र दोनों पक्षों का कथन सुना गया।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कथन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से तिल तेल (इंजन) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला, जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोंट के अनुसार इस मामले में Bellier Test (Turbidit) temperature- Acetic acid method) Not more than 22° C निर्धारित है जबकि जांच रिपोर्ट में 30.02° C पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां तिल तेल (इंजन) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है।

4. अप्रार्थी संख्या 3 से 7 की ओर उनके विद्वान अधिवक्ता ने बचाव में कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान पर सैंपलिंग ली गई जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को उपलब्ध नहीं करायी और ना ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जांच से संबंधित कोई फार्म उपलब्ध कराया। जिससे उनके द्वारा केन्द्रीय जांच प्रयोगशाला से पुनः जांच नहीं करवाई जा सकी। मात्र खानापूर्ति कर पुनः जांच हेतु रजिस्टर्ड अप्रार्थी संख्या 1 को भेजना बताकर किसी प्रकार की तामील का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल भी चार दिनों बाद केन्द्रीय प्रयोगशाला को जांच हेतु भिजवाई गई है। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि जांच रिपोर्ट में सिरियल नं. 5 जो निर्धारित मापदण्ड अनुसार मामूली अन्तर होने से उक्त खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता है। खाद्य पदार्थ के अलग–अलग स्थान व जलवायु व्यक्ति एवं केमिकल्स के अन्तर्गत जांच करने पर उनकी जांच में मामूली अन्तर पाया जाना संभव है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विधि विरूद्ध एवं आधा–अधूरा होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अन्त में निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थीगणों को दोषमुक्त किए जाने के आदेश फरमावें।

अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * बीकानेर *
Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक़ अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से तिल तेल (इंजन) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य ज़नविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक L.S./2493/Act 2016/286 दिनांक 20.09.2016 के अनुसार इस मामले में Bellier Test (Turbidit) temperature- Acetic acid method) Not more than 22° C निर्धारित है जबकि जांच रिपोर्ट में 30.02°C पाई गई है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में यह प्रावधान किया गया है कि "कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिये विनिर्माण या मानव उपभोग के लिये भंण्डारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो अवमानक है, शास्ति का जो पांच लाख रूपये तक की हो सकेगी, दायी होगा।" चूंकि प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीगण द्वारा मानव उपभोग के लिये खाद्य सामग्री का भण्डारण कर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था, जो जन विश्लेषक, जयपुर की रिर्पोट से सबस्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां तिल तेल (इंजन) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त धाराओं का जो आरोप आरोपित किये गये है वे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 प्रथम दृष्ट्या क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले सबस्टेण्डर्ड खाद्य प्रदार्थ का मानव उपभोग के लिए विक्रय के लिये विनिर्माण, भण्डारन, विक्रय एवं वितरण के समान रूप से दोषी है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

6. अप्रार्थीगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड तिल तेल (इंजन) उत्पादन/वितरण/विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है।

7. अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थ में तिल तेल (इंजन) सबस्टेण्डर्ड का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत 55,000/- अखरे रूपये पचपन हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।

8. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

अति॰ जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9. खादय सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही सबस्टेण्डर्ड खादय पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 6 व 7 का ही परिलक्षित होता है । अतः आरोपित शास्ति राशि में से रूपये 30,000/– अखरे तीस हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 6 व 7 समान रूप से 1/2 शास्ति राशि यानि 15,000/–, 15,000/– रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 7 भरने हेतु दायी होगें।

10. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु वितरण एवं विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में वितरकों एवं विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खादय पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 विक्रेता एवं वितरक द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खादय सामग्री तिल तेल (इंजन) का वितरण/विक्रय किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (II) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 6 व 7 विनिर्माता की शास्ति राशि को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति राशि रूपये 25,000/– अखरे पच्चीस हजार रूपये में से पांचों अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 समान रूप से 1/5 शास्ति राशि यानि 5,000/–, 5,000/– रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 भरने हेतु दायी होगा। इस प्रकार आरोपित शास्ति राशि रूपये 55,000/– (अखरे पचपन हजार रूपये) में से 30,000/– रूपये (अखरे तीस हजार रूपये) अप्रार्थी संख्या 6 व 7 (विनिर्माता) तथा शेष शास्ति राशि रूपये 25,000/– (अखरे पच्चीस हजार रूपये) अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक 5–5 हजार रूपये की शास्ति अदा करेगें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * बीकानेर *

11. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में प्रार्थीपक्ष पीडीआर एक्ट/एलआरएक्ट के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करें ।

12. निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन बीकानेर को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(यशवन्त भाकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner